शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2024
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ एवं आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति का अध्ययन (इंदौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

मात्रे प्रतिभा (शोधार्थी)
वर्मा कौशलेन्द्र (शोध निर्देशक)
सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला
डॉ.बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
महू, इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

सामाजिक व्यवस्था बहुत कुछ आर्थिक ढाँचे पर निर्भर करती है। मनुष्य की सारी चेतना लगभग अर्थ पर टिकी होती है। अतः महिलाएं समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती हैं। उसके बगैर अन्य चेतना निस्तेज पड़ जाती है। 21वी सदी भारी बदलावों के दौर की साक्षी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के इस दौर में दुनिया के सभी लोग विकास की आंधी में बहते नजर आ रहे हैं। महिलाओं का कामकाजी होना भी क्रांति की एक बुनियाद है। स्त्री-पुरुष मिलकर यदि आर्थिक उपार्जन कर लेते हैं तो इससे परिवार ही नहीं देश के विकास की संभावना भी बढ़ जाती है। महिलाओं का कामकाजी होना कई बातों पर निर्भर है : पुरुषों द्वारा अनदेखी, परिवार का आर्थिक बोझ तथा मान-सम्मान की भावना इत्यादि। भारतीय महिलाओं का एक विराट रूप है। इसमें अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त हैं। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सड़क पर मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन गुजार लेता है। उसके बच्चे किसी वृक्ष की छाया में धरती माँ की गोद में बड़े होते हैं वे सुबह से शाम तक जीविका अर्जन में लगी रहती है। गरीबी से घिरा उनका जीवन उनके बच्चे के विकास को अवरुद्ध कर देता है। प्रस्तुत शोध में कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ एवं आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति के क्रियान्वयन तथा प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सौ वर्षों में बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्यकालीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। एक पक्ष ये सामने आता है कि क्या नारी को उसकी स्थिति में सुधार के साथ-साथ अधिकारों की स्वतंत्रता सही रूप में मिल पा रही है ? या क्या इतनी स्वतंत्रता मिल पा रही है जिसके बल पर वे पुरुष प्रधान समाज में अपने पूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ सके। आधुनिक युग में श्रम के क्षेत्र में केवल श्रमिकों का ही एकाधिकार नहीं है वरन महिला श्रमिकों का भी महत्व दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। समाज में अनेक संस्थाओं के कार्यो की सक्षमता महिला श्रमिकों

के कार्य पर ही निर्भर हो गई है। अब नारी का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित नहीं है। वह घर से बाहर भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य क्षेत्र में संघर्षरत है। लेकिन जहाँ तक कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का पक्ष है वह आज भी भ्रूण अवस्था में है। असुरक्षा की भावना के कारण कामकाजी महिला के विकास में एक बड़ी बाधा है। इसके साथ-साथ असुरक्षा की भावना महिलाओं को रोजगार की ओर उन्मुख होने से रोकती है। वे निश्चिन्त होकर काम नहीं कर पाती हैं। हर समय उन्हें अपने सामने खतरा मंडराता दिखाई देता है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक दृष्टी से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाये ताकि भय मुक्त होकर कार्य कर सके।

महिलाओं को समाज ने बेटी, पत्नी और माता के अलावा पूजनीय स्थान दिया है और उसे शक्तिदायिनी एवं कल्याणकारिणी देवी कहा है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः। लेकिन दूसरी ओर नारी को पददलित किया जाता रहा है। इसमें पुरुष वर्चस्ववादी सोच का अधिक योगदान है। जातिवाद के कारण दलित समाज हाशिये पर है। इनमें भी सबसे अत्यधिक उपेक्षित महिलाएं हैं।

महिलाएं किसी भी देश और समाज के विकास की मुख्य धुरी होती है, जो पत्नी, मां, बहन के रूप में परिवार की अंगरक्षक बनकर महत्तवपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। आज बड़ी संख्या में महिलाएं नगरों, महानगरों, कस्बों में रोजाना कार्य पर निकलती हैं, यद्यपि हम विकास की कई मंजिलें तय कर चुके हैं और आधुनिक जीवन जीने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन कामकाजी महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण अत्यंत संवेदनहीन होता है। हम प्रायः ऐसी महिलाओं को शक की दृष्टि से देखते हैं।

जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात समाज में रह-रहकर उठती रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि जैसे महिलाओं को किसी वर्ग विशेषकर पुरूष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ किया जा रहा है। भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही नारी को पुरूष के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। यहां तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गयी। महाभारत काल के पश्चात नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सौदेद्श्यपूर्ण विधि का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र : इंदौर जिले की समग्र शासकीय तथा अशासकीय कामकाजी महिलाएं अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन की इकाई : अध्ययन की इकाई के अंतर्गत इंदौर जिले की कामकाजी महिलाएं हैं।

अध्ययन का क्षेत्र : मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का चयन किया गया है।

निदर्शन का आकार : इंदौर जिले की कुल 100 महिलाओं का चयन किया गया।

प्राथमिक समंक साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, समूह चर्चा।

द्वितीयक समंक : पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रलेख, सांख्यकीय जनगणना, इन्टरनेट आदि की सहायता से किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1 कामकाजी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2 कामकाजी महिलाओं के फलस्वरूप पीड़ित महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आये परिवर्तन का अध्ययन।

परिणाम एवं चर्चा

तालिका क्रमांक 1

महिला उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	20-30 वर्ष	20	20%
2	31-40वर्ष	37	37%
3	41-50वर्ष	30	30%
4	51-60 वर्ष	13	13%
5	60 से अधिक	00	0
	कुल योग	100	100%

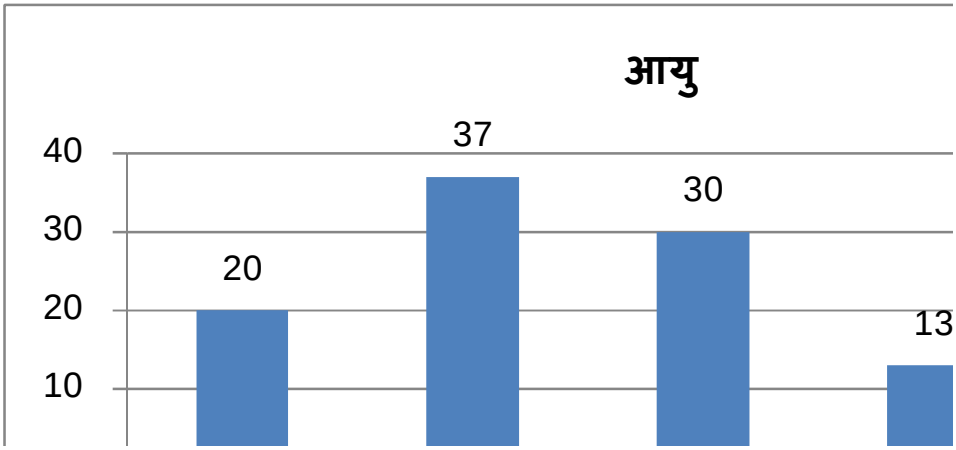

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त समंकों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 37 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें 31-40 वर्ष की आयु वर्ग की, 30 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें 41-50 वर्ष आयु वर्ग की तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता महिलायें 20-30 वर्ष की तथा 13 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाये 51-60 वर्ष की पायी गयी है। अत: अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरदाता महिलाएं 31-40वर्ष की आयु से अधिक पायी गई हैं।

तालिका क्रमांक 2

महिला उत्तरदाताओं की जाति

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	20	20%

2	अनुसूचित जनजाति	18	18%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18	18%
4	सामान्य	44	44%
	कुल योग	100	100%

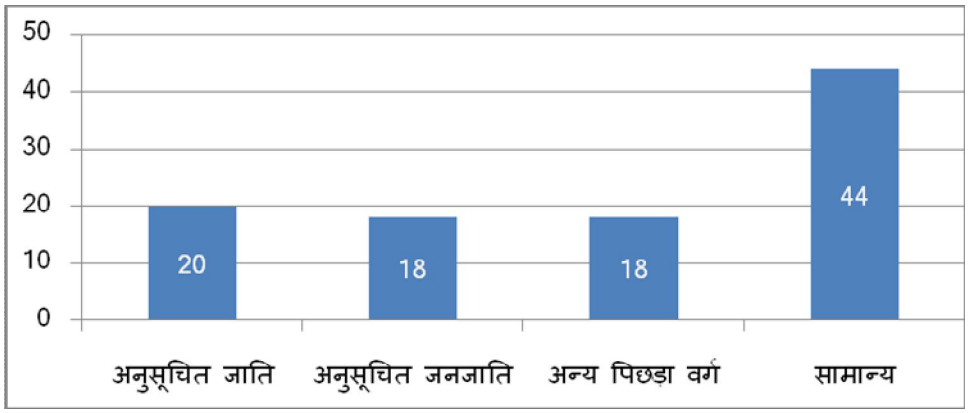

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त समंको के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओ मे से 44 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाये सामान्य वर्ग की तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाये अनुसूचित जाति वर्ग कीए तथा 18 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाये अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा 18 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाये अन्य पिछड़ा वर्ग की पायी गयी है । अतरू अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तरदाता महिलाये सामान्य वर्ग की है ।

तालिका क्रमांक . 3

महिला उत्तरदाताओं का शिक्षा संबंधी विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राथमिक	4	4%
2	माध्यमिक	5	5%
3	हाई स्कूल	3	3%
4	हायर सेकेंडरी	17	17%
5	स्नातक और स्नातक से अधिक	71	71%
	कुल योग	100	100%

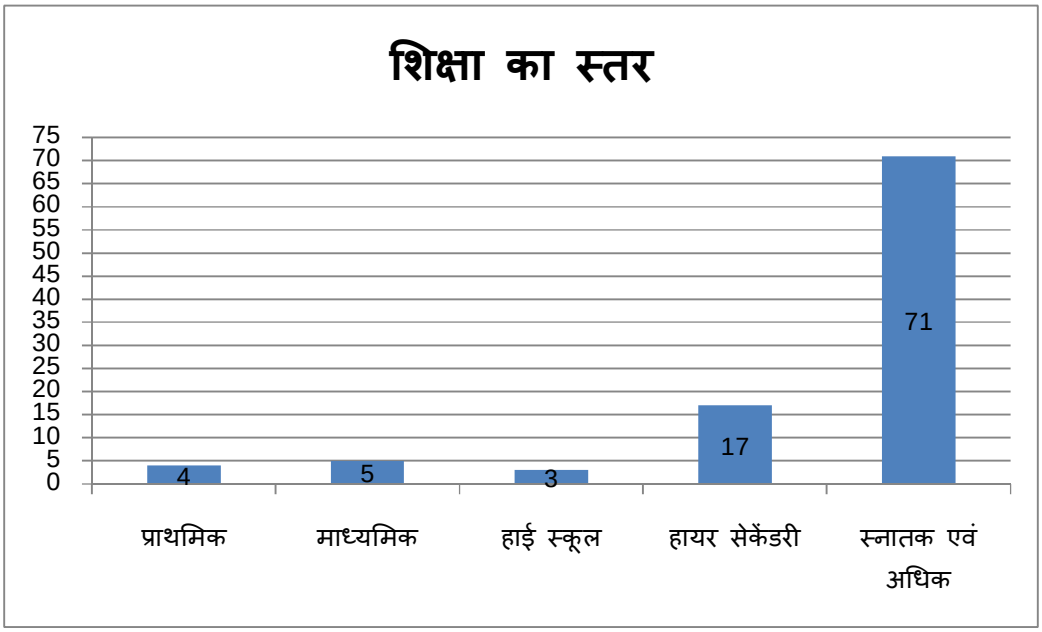

उपर्युक्त तालिका के समंको से स्पष्ट होता है कि अध्ययन मे स्नातक और स्नातक से अधिक महिला उत्तरदाता 71 प्रतिशत पायी गयी है ए हायर सेकेंडरी की 17 प्रतिशतए माध्यमिक 5 प्रतिशतए प्राथमिक 4 प्रतिशत तथा हाईस्कूल 3 प्रतिशत पायी गयी है । अतरू कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में स्नातक और स्नातक से अधिक महिला उत्तरदाताओ की संख्या अधिक है ।

तालिका क्रमांक 4

महिला उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	68	68%
2	अविवाहित	24	24%
3	विधवा	6	6%
4	तलाकशुदा	2	2%
	कुल योग	100	100%

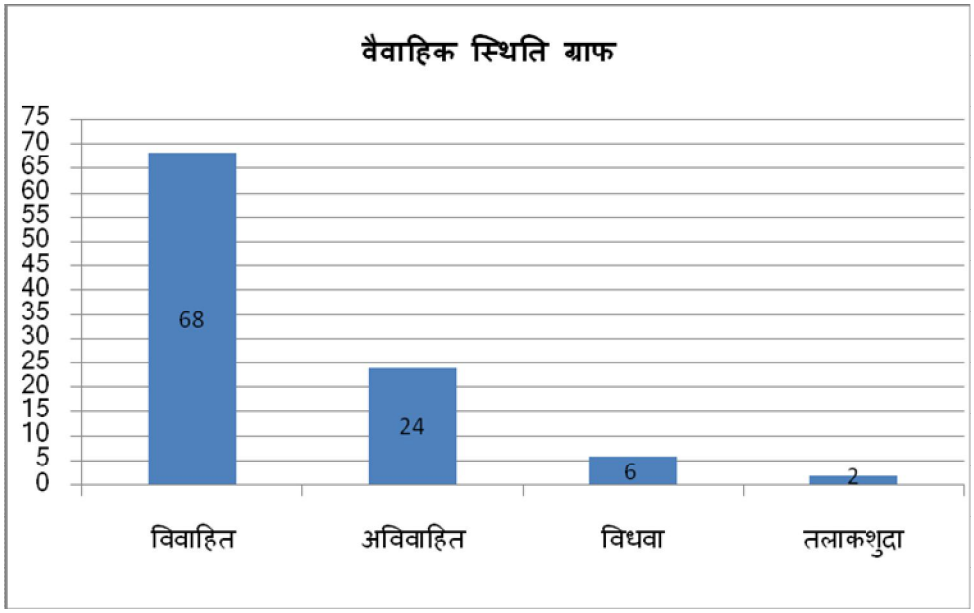

उपर्युक्त तालिका के समंको के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 100 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं में से 68 प्रतिशत विवाहित पायी गई है ए 24 प्रतिशत अविवाहितए 6 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत तलाकशुदा उत्तरदाता महिलाये पायी गई है । अतरू कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में विवाहित उत्तरदाता सर्वाधिक 68 प्रतिशत पाई गई है ।

तालिका क्रमांक 5

महिला उत्तरदाताओं द्वारा नौकरी के दौरान सामाजिक स्थिति में आये परिवर्तनों संबंधित विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	70	70%
2	नहीं	30	30%
	कुल योग	100	100%

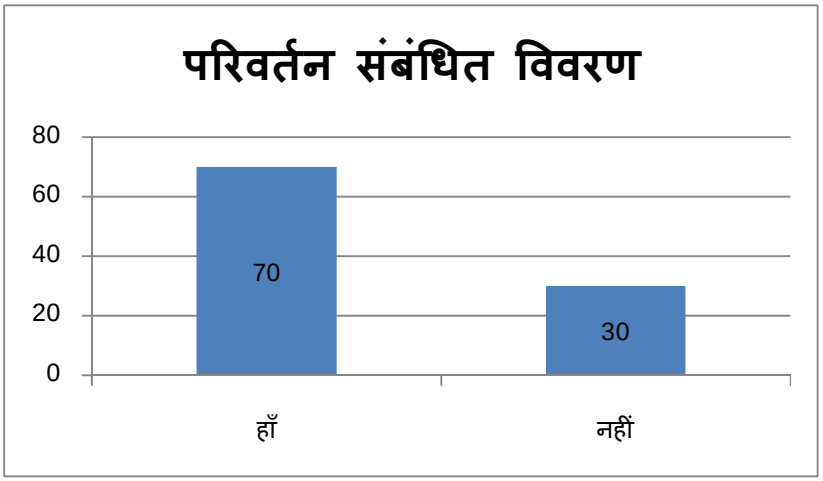

उपर्युक्त तालिका के समंको के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 70 प्रतिशत महिलाओ के द्वारा नौकरी करने पर उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है तथा 30 प्रतिशत महिलाओ के द्वारा नौकरी करने पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

तालिका क्रमांक 6

महिलाओ की समस्याओ एवं शोषण के विरुद्ध महिला संगठनो की भूमिका संबंधित विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	78	78%
2	नहीं	22	22%
	कुल योग	100	100%

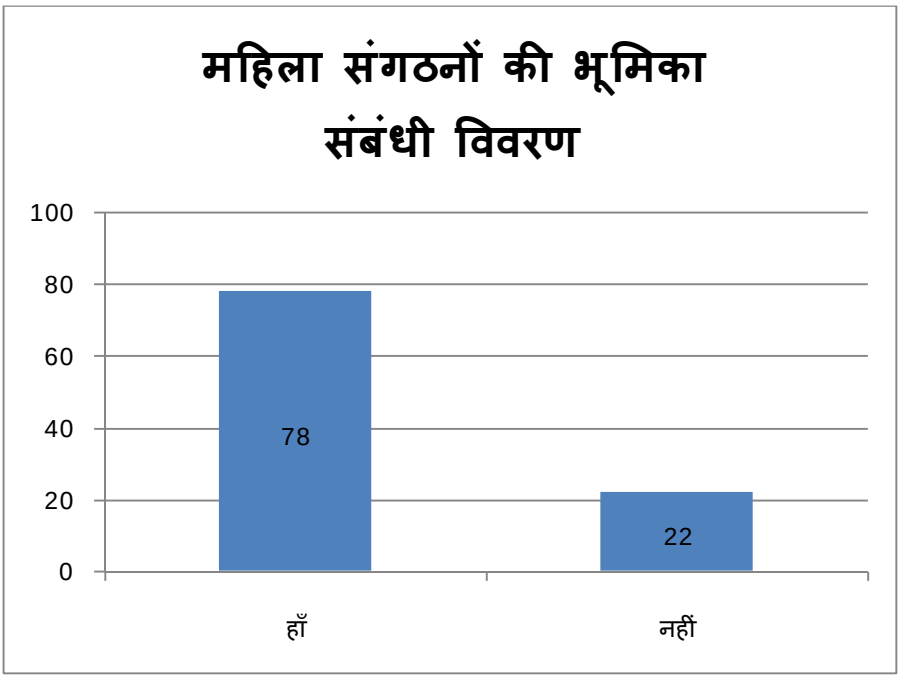

उपर्युक्त तालिका के समंको के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 78 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है कि महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरुद्ध महिला संगठनों की भूमिका है तथा 22 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है कि महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरुद्ध महिला संगठनों की भूमिका नहीं है।

निष्कर्ष

किसी भी कार्य को करने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पढ़ता है। अतः शोध कार्य भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रक्रियाओ का संवैधानिक अध्ययन करता है। किसी भी कार्य को करने के पश्चात अंत में हम किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पंहुचते हैं। अतः

शोधार्थी द्वारा किये गये अध्ययनकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि किसी भी शोध को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए व अध्ययनकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि जो भी जानकारी एकत्रित की जाये उसमें विषय वस्तु के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इनकी उपलब्धता व अनुपलब्धता तथा संतुष्टि एवं असंतुष्टि की जानकारी होना चाहिए। क्षेत्रीय अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात एकत्रित जानकारी को भी निष्कर्ष के रूप में व्यक्त करना होता है, जिसमें अध्ययन के दौरान जो स्थितिया विशेष रूप से अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को असफल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारण के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलायें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक क्रियाओं में योग देती हैं। समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरुषों को केवल आर्थिक क्रियाएं संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं। आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु, व्यवसाय, हैंडलूम आदि में महिलाओं के अनुदान में काफी हद तक वृद्धि हुई है।

सुझाव

1 कामकाजी महिलाओ की पारिवारिक स्थिती को देखते हुए यह सुझाव है कि कामकाजी महिलाओ में शिक्षा का स्तर 43 प्रतिशत है, जिस कारण से उन्हें सही रोजगार नहीं मिल पाता है तथा बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है।

2 देखा गया कि कुछ एकाकी परिवार वाली महिलाएं उनके बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती हैं, इसलिए संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है।

3 कामकाजी महिलाओं को उचित साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे वह अपनी तथा अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो सके।

4 घर के सभी सदस्यों को महिलाओं के साथ समझौता करना चाहिए तथा उनकी मांगों को भी पूरा करना चाहिए।

5 महिलाओं को परिवार के निर्णय तथा समाज में निर्णय लेने में सहयोग देना चाहिए।

6 सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए योजनायें चलाते रहना चाहिए।

7 महिलाओं को चाहिए कि वह भी आगे बढ़ने का प्रयास करे तथा सरकार की योजनाओं का लाभ ले।

8 कामकाजी महिलाओं का संस्था में जो समय होता है उसी समय में कार्य लिया जाना चाहिए, समय से अधिक नहीं।

9 यदि कार्य के दौरान किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या अन्य परेशानी हो, तब तुरंत उस पर पहल की जानी चाहिए या उसे रोकना चाहिए ।

10 कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

11 महिलाओं से सम्बंधित अत्याचारों के सम्बन्ध में पारित अधिनियम, नियमों की जानकारी हेतु जागरूकता लाने की आवश्यकता है ।

12 समाज में व्याप्त लिंग भेद को दूर करना होगा, जिससे महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान दर्जा दिलाया जा सके।

13 योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसा किया जाए जिससे महिलाओं को काम के स्थान पर तनाव मुक्त रखा जाए। कार्य के समय को निश्चित किया जाए जिससे कामकाजी महिलाओं की समस्याओं में कमी लायी जा सके।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 मुखर्जी राधा कुमुद (1958) वुमेन ऑफ़ इंडिया गवर्मेंट ऑफ़ इंडिया पब्लिकेशन।

2 भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के संबंध में दृष्टिकोण अध्ययन दल की रिपोर्ट (1975)

3 त्रिपाठी, चंद्रावाली (1981), भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास गोरखपुर

4 एलिजाबेथ, एम मेहान (1985), Women right at work " Publishing London

5 व्होरा, आशारानी (1982) नारी शोषण आईने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली

6 व्होरा आशारानी (1983) भारतीय नारी दिशा एवं दशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली

7 टी. के. आदनवाला (1986) भारतीय नारी के लिए पाठ्य पुस्तक एनआर. ब्रदर्स प्रकाशन इंदौर

8 मारिया माईस (1986), Indian women is subsistence and Agriculture loboury Publishing London

9 Giddumal, Dayaram (1989) Stiles of Women In India, India Publication, New Delhi

10 Sinha, NIraj (1989) " Women's Violence " Vikash Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi